राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	704/2022 कालूराम बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 05/05/2026 को पेश हो।	
05/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो।	
07/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/10/2021 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 861 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 866/1040 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम विजयसिंहपुरा पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार कब्जेकाश्त को प्राथमिकता देते हुये मकानात/रहवास इत्यादि को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स एवं सभी खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुये तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/08/2022 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की अनुपालना करते हुये एवं विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये तैयार की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर विभाजन की अन्तिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से पारित की गयी है, जिसमे कोई	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कालूराम बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जि े अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/08/2022 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज़ की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |